निदेशालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— एफ.1(·)/स्था/निकाशि/13/650 दिनांकः 18.4.2013

परिपत्र

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
राजकीय कन्या महाविद्यालय
राजकीय विधि महाविद्यालय,
राजस्थान स्कूल ऑफ ऑर्ट, जयपुर
राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।

प्रायः यह देखा गया है कि प्राचार्य/उपाचार्य एवं कार्यवाहक प्राचार्य बिना अवकाश स्वीकृत कराये/अनुमति लिये मुख्यालय छोड देते हैं एवं इसके पश्चात् चिकित्सा अवकाश या उपार्जित अवकाश पर रह जाते हैं तथा अवकाश उपार्जन के बाद स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण एवं गलत रूप से भर कर प्रेषित किया जाता है। ऐसी स्थिति में निदेशालय का अनावश्यक पत्राचार में बहुमूल्य समय नष्ट होता है तथा समय पर कार्य का निष्पादन नहीं होने के कारण कार्मिक के प्रकरण लम्बित रहते हैं।

भविष्य में इस प्रकार की अनावश्यक कठिनाईयां उत्पन्न न हो और समय पर कार्मिक के कार्यो का निष्पादन हो। अतः समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि अवकाश पर जाने से पूर्व निदेशक को अपना अवकाश प्रार्थना पत्र जरिये फैक्स कर दूरभाष पर अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोडे। विशेष परिस्थिति में निदेशक/अतिरिक्त निदेशक के दूरभाष पर सम्पर्क करके अनुमति प्राप्त करें अथवा मैसेज करें।

1. निदेशक के दूरभाष/फैक्स नम्बर — 0141 – 2706847
9929204300

(नवीन जैन)
निदेशक

प्रतिलिपि :-

श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को इस कार्यालय की वेब-साइड पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर